रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2016/फाल्गुन 21, 1937
No. 622] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/ PHALGUNA 21, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

का.आ. 1073(अ).— यत:, मै. गेरा डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ने महाराष्ट्र राज्य के ग्राम खराडी, तालुका हवेली, जिला पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1013(अ) दिनांक 23 अप्रेल, 2009 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.14 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत: मैं. गेरा डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.14 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, महाराष्ट्र सरकार ने उनके दिनांक 20 नवंबर, 2015 के पत्र सं. एस.ई.जेड-1814/सी.आर-19/आई.एन.डी-2 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत;, विकास आयुक्त, महाराष्ट्र विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 10.14 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है ।

[फा. स. एफ.2/678/2006-एस.ई.जेड़]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Deaprtment of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi the 7th March, 2016

S.O. 1073(E).— WHEREAS, M/s. Gera Developments Private Limited, a private organization in the State of Maharashtra, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Village-Kharadi, Taluka Haveli, District Pune in the State of Maharashtra;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10.14 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 1013(E) dated 23rd April, 2009;

And, Whereas, M/s. Gera Developments Private Limited has proposed to de-notify the entire area of 10.14 hectares of the above Special Economic Zone;

And, Whereas, the State Government of Maharashtra has given its "No Objection" to the proposal vide letter no. SEZ-1814/CR-19/Indi-2 dated 20th November, 2015.

And, Whereas, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 10.14 Hectares of the Special Economic Zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/678/2006-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.